न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 43/2024 दायर दिनाँक 27.02.2024

वादी		प्रतिवादी
1. राजवीर पुत्र श्रीराम जाति जाट निवासी धीजपुरा तहसील जायल जिला नागौर राज0।	बनाम्	1. तहसीलदार छोटीखाटू।

राजस्व–वाद बाबत्

रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थितः–

श्री हरफुलराव एडवोकेट वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 12.05.2025

राजस्व वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम खाटूखुर्द में खेत खसरा सं0 574/1655 रकबा 0.0300 है. भूमि स्थित है। वादी के खसरा संख्या 574/1655 पूर्व में राजस्व नक्शा में नजरी नक्शा में दर्शित मार्क ए बी सी डी ई एफ पर दर्शित था। लेकिन राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों ने राजस्व रेकर्ड ऑनलाईन करते वक्त वादी के खेत मार्क ए बी सी डी ई एफ पर सहवन से राजस्व नक्शा में खसरा संख्या 2067/574 की भूमि दर्शित कर दी तथा वादी के खातेदारी के खसरा नम्बर 574/1655 को राजस्व नक्शा से हटा दिया है जो राजस्व नक्शा में कहीं पर भी दशित नहीं है। इसलिए राजस्व रेकर्ड दुरूस्त करने हेतु दावा बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती का पेश करना लाजमी आया है।

वादी की प्रार्थना इस प्रकार हैः–

राजस्व ग्राम खाटूखुर्द में खेत खसरा सं0 574/1655 रकबा 0.0300 है. को नजरी नक्शा में दर्शित मार्क ए बी सी डी ई एफ स्थान पर राजस्व नक्शा अंकित किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार मौलासर के पत्र क्रमांक/राजस्व/2025/444 दिनांक 21.04.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार छोटीखाटू से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार वादी राजवीर पुत्र श्रीराम जाति जाट सा. धीजपुरा तह. जायल के नाम खसरा संख्या 574/1655 रकबा 0.0300 ग्राम खाटूखुर्द की जमाबंदी संवत् 2024–2077 दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर 574/1655 की तरमीम नक्शा शीट सन् 2009 में मौका अनुसार की गई है। परन्तु ऑनलाईन नक्शा में उक्त खसरा नं. प्रदर्शित ही नहीं हो रहा है। खसरा नं. 574/1655 की नक्शा शीट में तरमीम के स्थान पर ऑनलाईन भू नक्शा में खसरा संख्या 2067/574 प्रदर्शित हो रहा है। जिसकी तरमीम नक्शा शीट में ऑनलाईन भू नक्शा में प्रदर्शित खसरा नं. 574 के स्थान पर है (ख.नं. 574 का जमाबंदी में अंकन नहीं है)। अतः नजरी नक्शा में प्रदर्शित अनुसार खसरा संख्या 574/1655 व खसरा संख्या 2067/574 को वर्तमान में शुद्ध किया जाना उचित है।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, अधिवक्ता वादी ने वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिका[illegible]लोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन किया खेत [illegible] सं[illegible]4/1655 रकबा 0.0300 है. का ऑफल[illegible] राजस्व नक्शे पर उ[illegible] है जबकि ऑनलाईन राजस्व नक्शे पर खस[illegible] 2067/574 [illegible] है। प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 14:55:48 IST
Reason: SelfAttested

Vikas

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा वर्तमान खसरा संख्या 2067/574 के स्थान पर खसरा संख्या 574/1655 का अंकन करवाना चाहा है। परन्तु वादी द्वारा खसरा संख्या 2067/574 के खातेदारों को वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है। तहसीलदार छोटीखाटू द्वारा खसरा संख्या 2067/574 के स्थान पर खसरा संख्या 574/1655 का अंकन एवं खसरा संख्या 574 के स्थान पर खसरा संख्या 2067/574 का अंकन किया जाना प्रस्तावित किया गया है एवं तहसीलदार छोटी खाटू ने अपनी रिपोर्ट में खसरा संख्या 574 का जमाबंदी में अंकन नहीं होना बताया है जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत ऑफलाईन नक्शा ट्रेस में भी खसरा संख्या 574 का अंकन किया गया है। उक्त खसरा संख्या 574 के स्थान पर खसरा संख्या 2067/574 का अंकन प्रस्तावित किये जाने के संबंध में तहसीलदार छोटी खाटू ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है।

अतः वादी के कथन व साक्ष्यों में भिन्नता है एवं वादी द्वारा हितबद्ध खातेदार काश्तकार को वाद में आवश्यक पक्षकार होने के उपरान्त भी पक्षकार नहीं बनाया गया है एवं खसरा संख्या 2067/574 के प्रतिस्थान स्थान को भी वादी समझाने में असमर्थ रहा। अतः बाद विवेचन वादी का रेकर्ड दुरूस्ती बाबत् हस्तगत वाद खारीज किया जाता है।

—:: आदेश ::—

राजस्व ग्राम खाटूखुर्द में खेत खसरा सं0 574/1655 रकबा 0.0300 है. में रेकर्ड दुरूस्तीकरण हेतु खसरा संख्या 2067/574 के हितबद्ध खातेदार को आवश्यक पक्षकार बनाते हुए पुनः नया वाद दायर करने के हक अधिकार को सुरक्षित रखते हुए वादी का रेकर्ड दुरूस्ती का हस्तगत वाद खारिज किया जाता है।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 12.05.2025 कों सरे इजलास सुनाया गया।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 14:55:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner